

[2024] 8 एस.सी.आर 650 : 2024 आई.एन.एस.सी 635

नई दिल्ली नगर परिषद व अन्य

बनाम

मंजू तोमर व अन्य

(सिविल अपील सं. 7440-7441/2012)

28 अगस्त 2024

[न्या. हिमा कोहली व न्या. संदीप मेहता]

विचारार्थ मुद्दा

मामले में, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमिटी- डी.एस.जी.एम.सी., उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हैं, जिसके द्वारा एन.डी.एम.सी. को स्कूल के कर्मचारियों को प्रोद्भूत वेतन और परिलब्धियों समेत पेंशन और अन्य लाभ का भुगतान करने और फिर उसकी वसूली डी.एस.जी.एम.सी. से करने का निर्देश दिया गया था।

शीर्ष टिप्पण

दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973- नि. 46, 47- किसी स्कूल या स्कूल की किसी भी कक्षा को बंद करना- अधिशेष (कर्मचारी) का अवशोषण - दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति- डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा संचालित स्कूल, जिसे एन.डी.एम.सी. से 95 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हो रहा है और स्कूल के बजट के लिए डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा किया गया शेष 5 प्रतिशत योगदान, निदेशक, एन.डी.एम.सी. की उचित मंजूरी के बिना बंद कर दिया गया- स्कूल बंद होने पर अधिशेष शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन, पुनर्नियुक्ति और भुगतान के संबंध में जारी करना- उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसके तहत एन.डी.एम.सी. ने वेतन और परिलब्धियों की

प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। स्कूल के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभ और फिर डी.एस.जी.एम.सी. से उसी की वसूली करने के लिए- चुनौती:

अभिनिर्धारित किया गया: नि. 47 डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा यह दावा करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है कि स्कूल बंद होने पर अधिशेष शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति और वेतन के भुगतान का दायित्व एन.डी.एम.सी. पर हो-अवशोषण तभी होगा जब स्कूल को विधि के अनुसार बंद किया जाता है, जिसके लिए पूर्ण औचित्य और निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नि. 46- चूंकि स्कूल को नि. 46 से असंबद्ध होकर बंद कर दिया गया था, यह निवेदन कि अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी का अवशोषण करने की जिम्मेदारी एन.डी.एम.सी. की होगी, के पास कोई विधिक मंजूरी नहीं है और उन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता है- - डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा स्कूल के कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की मांग करने में परिसीमा की सीमा एन.डी.एम.सी. के रास्ते में नहीं आएगी- एन.डी.एम.सी. द्वारा पहले ही स्कूल के कर्मचारियों को प्रिंसिपल राशि का भुगतान कर दिया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज के भुगतान के लिए आक्षेपित निर्णय के संदर्भ में दिया गया निर्देश हस्तक्षेप की आवश्यकता की मांग नहीं करता है- एन.डी.एम.सी. निर्धारित अवधि के भीतर स्कूल के कर्मचारियों को ब्याज सहित सभी शेष बकाया का भुगतान करेगा- एन.डी.एम.सी. स्कूल के कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की मांग डी.एस.जी.एम.सी. से करने का हकदार है, यदि डी.एस.जी.एम.सी. उक्त राशि की स्वेच्छा से प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है।
[अनु. 18, 19, 21-26]

अधिनियमों की सूची

दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973; दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973।

प्रमुख शब्दों की सूची

स्कूल को बंद करना; पुनर्नियुक्ति; अधिशेष शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का भुगतान; गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल; अवशोषण; विधिक मंजूरी; प्रतिपूर्ति; वेतन/पेंशन की बकाया राशि; सेवानिवृत्ति लाभ; मूल राशि का भुगतान; परिसीमा; ब्याज का भुगतान।

मामला उद्भूत होता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 7440-7441/2012

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के ले.पे.अ. सं. 441 और 442/2009 में दिनांक 09.12.2009 के निर्णय और आदेश से के साथ

सिविल अपील सं. 7442-7444/2012

पक्षकारगण हेतु उपस्थितियां

योगिंदर हांडू, अश्विन कटारिया, गर्वित सोलंकी, सुश्री मेधा गौर, रितेश खत्री, अपीलार्थीगण हेतु अधिवक्ता।

पुखरंभम रमेश कुमार, करुण शर्मा, सुश्री अनुपमा नगंगोम, सुश्री राजकुमारी दिव्यासना, रितेश खत्री, एम.सी. ढींगरा, प्रत्यर्थीगण हेतु अधिवक्ता।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. मेहता

1. सुना गया।
2. नई दिल्ली नगर परिषद (इसके बाद 'एन.डी.एम.सी.' के रूप में संदर्भित) और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (इसके बाद 'डी.एस.जी.एम.सी.' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेण्ट अपील सं. 441/2009 और 442/2009 की में पारित 9 दिसंबर, 2009 के एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं और इसलिए, उनकी सुनवाई की गई है और उन पर एक साथ निर्णय लिया जा रहा है।

सिविल अपील सं. 7442-7444/2012

3. अपीलों के निपटान के लिए संक्षेप में प्रासंगिक और आवश्यक तथ्यों का उल्लेख नीचे किया गया है।
4. गुरुद्वारा बांग्ला साहिब, नई दिल्ली के परिसर में अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. अपने द्वारा निर्मित खालसा बॉयज़ प्राइमरी स्कूल (संक्षेप में 'स्कूल') नामक एक स्कूल का प्रबंधन और संचालन कर रहा था। इस स्कूल को 130 छात्रों, प्रधानाध्यापिका सहित पांच शिक्षकों, 2 चपरासियों और एक सहायक के साथ शुरू किया गया था। स्कूल को एन.डी.एम.सी. से 95 प्रतिशत अनुदान मिल रहा था और शेष 5 प्रतिशत योगदान अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा स्कूल के बजट के लिए किया गया था। प्रत्यर्थी सं. 1, 5, 6, 7 और 8 स्कूल में प्रधानाध्यापिका, सहायक शिक्षक, जल महिला, सफाईकर्मी-सह-चौकीदार, चौकीदार क्रमशः के रूप में कार्यरत थे।
5. यह दावा किया जाता है कि समय के साथ, स्कूल की इमारत पुरानी और जीर्ण-शीर्ण हो गई और गुरुद्वारे में आने वाले भक्तों की बढ़ती हुई

संख्या को देखते हुए भी अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. को रोजमर्रा के आधार पर स्कूल चलाने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए, अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. ने स्कूल को अपने मौजूदा स्थान से एक नए परिसर अर्थात् माता सुंदरी कॉलेज, पुरानी इमारत, नई दिल्ली में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। चूंकि स्कूल को एन.डी.एम.सी. से 95 प्रतिशत अनुदान मिल रहा था इसलिए अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. ने स्कूल को स्थानांतरित करने की अनुमति के लिए एन.डी.एम.सी. का रुख किया।

6. अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा स्कूल के प्रस्तावित स्थानांतरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर, स्कूल की प्रधानाध्यापिका और अन्य कर्मचारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर करके उक्त प्रस्ताव को चुनौती दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 30 मई, 2005 को एक *एकतरफा* स्थगन आदेश पारित किया था, जिसमें स्कूल के प्रस्तावित स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, स्थगन आदेश दिए जाने और सूचित किए जाने के बावजूद, अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. ने स्कूल भवन के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया, जिससे यह गैर-कार्यात्मक हो गया। स्कूल भवन के ध्वस्त होने के परिणामस्वरूप एन.डी.एम.सी. ने दिल्ली शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के नियम 69 (इसके बाद 'दिल्ली शिक्षा नियम' के रूप में संदर्भित किए जाने के बाद) के तहत अनुदान-सहायता को इस तर्क पर रोक दिया कि यह उन स्कूलों को अनुदान-सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य था जो इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं और अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. अर्थात् माता सुंदरी कॉलेज द्वारा चुना गया वैकल्पिक स्थान एन.डी.एम.सी. के क्षेत्राधिकार से बाहर था।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर, 2005 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त रिट याचिकाओं का निपटान किया, जिसमें एन.डी.एम.सी. को

चार सप्ताह के भीतर विचार करने और यह तय करने का निर्देश दिया गया कि क्या अपीलार्थी- डी.एस.जी.एम.सी. को स्कूल को बंद करने के लिए पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी दी जा सकती है क्योंकि इसे एन.डी.एम.सी. के क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा रहा था जो स्कूल को बंद करने का कारण बन सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद, एन.डी.एम.सी. ने 14 फरवरी, 2006 को एक आदेश जारी किया जिसमें उसने दिल्ली शिक्षा नियमों के नियम 55(1) को लागू किया और कहा कि माता सुंदरी कॉलेज में स्कूल चलाने के लिए पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसके परिणामस्वरूप, मान्यता को वापस लेने और अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा चलाए जा रहे स्कूल को अनुदान देने से रोकने का निर्णय लिया गया।

8. स्कूल के शिक्षण के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में नई रिट याचिकाएं दायर कीं जिसमें एन.डी.एम.सी./सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में विलय के लिए निर्देश देने और अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. को उन्हें वेतन और अन्य सेवा लाभों का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की गई।
9. उक्त रिट याचिकाओं को बाद में संशोधित किया गया और 14 फरवरी, 2006 के एन.डी.एम.सी. के आदेश पर स्कूल के शिक्षण के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा भी हमला किया गया। रिट याचिकाओं का निपटान विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 13 जुलाई, 2009 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से किया गया था:-

- (i) एन.डी.एम.सी. को निर्णय प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से एक आख्यापक आदेश पारित करने का निर्देश

दिया गया था जिसमें यह दर्शाया गया था कि क्या दिल्ली शिक्षा नियमों के नियम 46 के संदर्भ में अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. को स्कूल बंद करने के लिए पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी दी जा सकती है और यदि नहीं तो क्यों;

- (ii) अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. सेवारत कर्मचारियों को वेतन और याचिकाकर्ता संख्या 6 से 12 (प्रत्यर्थी सं. 8 से 14) को पेंशन लाभ का भुगतान मार्च, 2006 से तब तक जारी रखेगा जब तक कि एन.डी.एम.सी. निर्णय के संदर्भ में एक नया आदेश पारित नहीं कर देता।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश पर तत्कालीन सेवारत शिक्षकों/कर्मचारियों और स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष दो लेटर पेटेंट अपील दायर करके हमला किया गया था जिन्हें 9 दिसंबर 2009 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी गई थी:

- (i) वेतन की बकाया राशि का भुगतान करें;
- (ii) 9 दिसंबर, 2009 के आदेश के बारह सप्ताह के भीतर सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में याचिकाकर्ता सं. 1-5 (इसमें प्रत्यर्थी सं. 1-5) को नियुक्त करें अर्थात् 8 मार्च, 2010 तक;
- (iii) अन्यथा, डी.एस.जी.एम.सी. को 4 मार्च, 2010 से याचिकाकर्ता सं. 1-5 (प्रत्यर्थी सं. 1-5) को पूरा वेतन और सभी अनुलाभों का भुगतान करना होगा।
- (iv) एन.डी.एम.सी. को याचिकाकर्ता सं. 6 से 12 (प्रत्यर्थीगण सं. 8 से 14) को बारह सप्ताह के भीतर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से

साधारण ब्याज के साथ वेतन/सेवानिवृत्ति लाभों के पूरे बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। एन.डी.एम.सी. को आगे याचिकाकर्ता सं. 6 से 12 (प्रत्यर्थीगण सं. 8 से 14) के बैंक खातों में नियमित रूप से पेंशन राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, एन.डी.एम.सी. को पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की मांग करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जैसा कि ऊपर अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा निर्देशित है जिसने उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना स्कूल को बंद कर दिया था;

(v) पुनर्नियुक्ति के बाद, सेवाकालीन कर्मचारियों अर्थात् याचिकाकर्ता सं.1 से 5 (प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 5) का कार्यकाल, वरिष्ठता, वेतनमान और सेवाकालीन कर्मचारी की परिलब्धियां केवल स्कूल बंद होने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

(vi) चूंकि याचिकाकर्ता सं. 1 से 5 (प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 5) ने वर्ष 2006-2009 की अवधि के दौरान काम नहीं किया था इसलिए वे अपने वेतन और परिलब्धि का केवल 50 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार होंगे लेकिन इस अवधि को उनकी वरिष्ठता के उद्देश्यों और उनके पेंशन और अन्य वैधानिक लाभों की गणना के लिए गिना जाएगा।

11. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के उक्त सामान्य आदेश पर क्रमशः एन.डी.एम.सी. और अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा की गई इन अपीलों में हमला किया जाता है।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना और उन पर विचार किया है और आक्षेपित निर्णयों और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

13. अभिलेख से उभरने वाले निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं:-

- (i) उस अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. ने सक्षम प्राधिकारी अर्थात् एन.डी.एम.सी. से अनुमति लिए बिना स्कूल भवन के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया जिससे स्कूल बंद हो गया।
- (ii) यह कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 30 मई, 2005 को रिट याचिका (सिविल) सं. 9951-52/2005 में पारित अंतरिम स्थगन आदेश के बावजूद ध्वस्त किया गया था जिसमें स्कूल के प्रस्तावित स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई थी।
- (iii) एन.डी.एम.सी. द्वारा 14 फरवरी, 2006 के आदेश के माध्यम से स्कूल को दी गई मान्यता और अनुदान को वापस ले लिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. अब 95 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं था जो एन.डी.एम.सी. द्वारा गुरुद्वारा परिसर में स्कूल चलाने के लिए प्रदान किया गया था। इस प्रकार, विद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उपार्जित वेतन और अन्य सेवा लाभों की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. पर पड़ता है।
- (iv) अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. ने मान्यता और सहायता अनुदान को वापस लेने के एन.डी.एम.सी. के 14 फरवरी, 2006 के निर्णय को किसी भी मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी।
- (v) कि स्कूल के कर्मचारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1 अक्टूबर, 2019 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणी की है: -

“वास्तव में, ले.पे.अ. में प्रत्यर्थी सं. 4 अर्थात्: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, गुरु गोबिंद सिंह भवन, गुरुद्वारा रकाबगंज, नई दिल्ली-110001 को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता थी:

- i) वेतन की बकाया राशि का भुगतान करना;
- ii) सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में याचिकाकर्ताओं को दिनांक 09.12.2009 के आदेश के बारह सप्ताह के भीतर नियुक्त करें अर्थात् 08.03.2010 तक।
- iii) अन्यथा, डी. एस. जी. एम. सी. को याचिकाकर्ताओं को 04.03.2010 के बाद से पूरा वेतन और सभी अनुलाभों का भुगतान करना होगा।

स्वीकृत रूप से, रोजगार 30.01.2018 तक नहीं किया गया था। इसमें लगभग आठ साल की देरी होती है, जो 36 दिनों से कम है। प्रत्यर्थी सं. 4-डी.एस.जी.एम.सी. ने याचीगण को गुरु तेग बहादुर इंटरनेशनल स्कूल, फतेहाबाद, हरियाणा में शामिल होने के लिए अपने दिनांक 17.08.2010 के पत्र द्वारा नौकरी की पेशकश की थी। याचीगण ने उक्त विद्यालय में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उक्त प्रस्ताव इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नहीं था अर्थात् यह विद्यालय न तो सरकारी स्वामित्व में था और न ही सरकारी सहायता प्राप्त था। इसके अलावा, यह हरियाणा में स्थित था न कि दिल्ली में।

उक्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, डी.एस.जी.एम.सी. ने दिल्ली में अपने विभिन्न स्कूलों में एक और रोजगार की पेशकश की, हालांकि, इनमें से कोई भी स्कूल या तो

सरकारी स्वामित्व वाला या सरकारी सहायता प्राप्त नहीं था। इसलिए, याचीगण ने उक्त स्कूलों में शामिल होने में अपनी आपत्ति व्यक्त की। उनकी चिंता मुख्य रूप से यह थी कि उनकी सेवा शर्तों और रोजगार लाभों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए, जो वास्तव में खण्ड पीठ के दिनांक 09.12.2009 और 08.02.2010 के आदेश द्वारा सुरक्षित किया गया था।

याचीगण ने डी.एस.जी.एम.सी. को उसी तारीख को जवाब दिया जिस दिन उन्हें प्रस्ताव प्राप्त हुआ था अर्थात् 28.08.2010। उनका जवाब इस प्रकार है:-

“हमें जो नौकरी दी गई है, वह दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 9/12/09 & 8/2/10 के अनुसार नहीं है, जिसमें अनु. 15, 17 और 20 स्पष्ट रूप से कहता है कि नौकरी उसी नियम और शर्तों पर होनी चाहिए जिस पर वे तब कार्यरत थे जब एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय का स्वामित्व था। इसलिए कृपया हमें उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में नौकरी दें ताकि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना से बचा जा सके। हमने इस संबंध में शपथ-पत्र भी दायर किया है। उच्चतम न्यायालय में दिनांक 27/8/10 को।”

इस जवाब के बाद, डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा किसी भी याचीगण से कोई पत्राचार नहीं हुआ। इस तरह के पत्राचार की अनुपस्थिति में, डी.एस.जी.एम.सी. से प्रस्ताव मौजूद नहीं था। इसलिए, डी.एस.जी.एम.सी. खण्ड पीठ के आदेशों और उन आदेशों को भंग कर रहा है जिसमें निर्देश दिया गया था कि सभी पांच याचीगण को दिनांक 09.12.2009

के आदेश के बारह सप्ताह के भीतर फिर से नियुक्त किया जाए। उक्त समय 08.03.2010 पर समाप्त हो गया।

गैर-अनुपालन के कारण आदेश का दूसरा अंग सक्रिय हो जाता है। परिणामस्वरूप, याचीगण पूर्ण वेतन और 04.03.2010 से 30.01.2018 तक सभी परिलब्धियों के हकदार हैं। प्रत्यर्थी सं. 4- इसलिए डी.एस.जी.एम.सी. याचिकाकर्ता सं. 1 से 5 को उनके पूरे वेतन का भुगतान करेगा और खण्ड पीठ के दिनांक 08.02.2010 के आदेश के संदर्भ में सभी परिलब्धियां प्रदान कराएगा। उक्त धन का भुगतान इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर उन्हें किया जाएगा। इसके बाद देरी पर ब्याज पर विचार किया जाएगा।

देय राशि सीधे याचीगण के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जो अपने संबंधित बैंक खाते का विवरण प्रत्यर्थी सं. 4- डी.एस.जी.एम.सी. को सीधे व साथ ही अधिवक्ता द्वारा भेजेंगे। प्रत्यर्थी सं. 4 प्रत्येक याचिकाकर्ता को देय राशि की गणना अगले दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगा और देय राशि का भुगतान दिनांक 13.12.2019 द्वारा करेगा।”

(जोर दिया गया)

14. अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. ने लेटर पेटेंट अपील दायर करके विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेश पर आपत्ति जताई जिसे अभियोजन के अभाव में 15 मार्च, 2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इसलिए, 1 अक्टूबर, 2019 का आदेश अंतिम रूप ले चुका है।
15. उपरोक्त आदेश के पठन मात्र से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा स्कूल के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव *प्रामाणिक* नहीं पाया

गया क्योंकि यह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

16. इस प्रकार, वर्तमान अपीलों में, एकमात्र मुद्दा जिसके लिए न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. के पास 9 दिसंबर, 2009 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश पर विरोध जताने के लिए कोई वैध आधार है जिसके तहत एन.डी.एम.सी. को स्कूल के कर्मचारियों को अर्जित पेंशन और अन्य लाभों सहित वेतन और परिलब्धियों की प्रतिपूर्ति करने और **“फिर अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. से उसी की वसूली करने”** का निर्देश दिया गया था।

17. अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश खत्री ने दिल्ली शिक्षा नियमों के नियम 47 का उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि जहां किसी मान्यता प्राप्त स्कूल को बंद करने या मान्यता वापस लेने के परिणामस्वरूप स्कूल के कर्मचारी अधिशेष हो जाते हैं, उन्हें जहां तक संभव हो सरकारी स्कूल या सहायता प्राप्त स्कूल में शामिल किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, स्कूल के शिक्षक और अन्य कर्मचारी जो स्कूल के बंद होने के कारण अधिशेष हो गए थे, वे दिल्ली शिक्षा नियमों के नियम 47 के तहत लाभ के हकदार होंगे। इस प्रकार, कुल मिलाकर, अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एन.डी.एम.सी. और निदेशक (शिक्षा), एन.डी.एम.सी. मुख्य रूप से कर्मचारियों को वेतन और अन्य सेवा लाभों के अवशोषण और भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं जो स्कूल के बंद होने के कारण अधिशेष हो गए। हालाँकि, हमें इस तर्क को बनाए रखना मुश्किल लगता है जो अभिलेख के समक्ष गलत है। दिल्ली शिक्षा नियमों के नियम 47 में

जिस विचार पर समापन किया गया है, वह एक विचार होना चाहिए, अर्थात्, दिल्ली शिक्षा नियमों के नियम 46 के तहत निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ किया गया है, जो नीचे दिया गया है:-

“नियम 46. किसी स्कूल या स्कूल में किसी भी कक्षा को बंद करना”

कोई भी प्रबंधन समिति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल को, जो एक गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल नहीं है, या ऐसे स्कूल में एक मौजूदा वर्ग को पूर्ण औचित्य दिए बिना और निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना बंद नहीं करेगी, जो ऐसी मंजूरी देने से पहले सलाहकार बोर्ड से परामर्श करेगा।

18. उपरोक्त नियम का केवल अवलोकन संदेह से परे निष्कर्ष निकालता है कि बिना किसी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय को छोड़कर किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या विद्यालय में मौजूदा कक्षा को पूर्ण औचित्य प्रदान किए बिना और निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना बंद नहीं किया जाएगा।
19. स्वीकृत रूप से अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा संचालित स्कूल को एन.डी.एम.सी. से 95 प्रतिशत अनुदान मिल रहा था और इसे निदेशक (शिक्षा), एन.डी.एम.सी. की उचित मंजूरी के बिना बंद कर दिया गया था। नतीजतन, अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. को दिल्ली शिक्षा नियमों के नियम 47 का बचाव लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि यह दावा किया जा सके कि स्कूल बंद होने पर अतिरिक्त शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन के पुनर्नियोजन और भुगतान का दायित्व एन.डी.एम.सी. का होगा। अवशोषण का सवाल केवल तभी उत्पन्न होता है जब स्कूल को विधि के अनुसार बंद किया जाता है जिसके लिए *पूर्वोक्त* नियम 46 के अनुसार निदेशक के पूर्ण औचित्य और पूर्व

अनुमोदन की आवश्यकता होती है। चूंकि विचाराधीन विद्यालय को नियम 46 से *असंबद्ध* हो कर बंद किया गया था इसलिए अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. की ओर से यह तर्क दिया गया कि अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को आमेलित करने की जिम्मेदारी एन.डी.एम.सी. की होगी, इसके लिए कोई विधिक मंजूरी नहीं है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

20. नतीजतन, हम अपीलार्थी-डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा दायर सिविल अपील सं. 7442-7444/2012 में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं जिन्हें खारिज कर दिया जाता है। कोई जुर्माना नहीं।

सिविल अपील सं. 7440-7441/2012

21. एन.डी.एम.सी., इन अपीलों में अपीलार्थी होने के नाते, मुख्य रूप से 9 दिसंबर, 2009 के आक्षेपित निर्णय में खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्देश से व्यथित है जिसमें कहा गया है कि उसे डी.एस.जी.एम.सी. द्वारा स्कूल को अवैध रूप से बंद करने के बाद पेंशन सहित अधिशेष स्कूल कर्मचारियों को प्राप्त वेतन और अन्य सेवा लाभों का बोझ वहन करना चाहिए। हालाँकि, हम ध्यान दें सकते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में एक स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की डी.एस.जी.एम.सी. से मांग करने का हकदार होगा क्योंकि उसने उपयुक्त प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के बिना अवैध रूप से स्कूल को बंद कर दिया था।
22. इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करते हुए, 7 जुलाई, 2010 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. को निर्देश दिया था कि वे प्रत्यर्थीगण अर्थात् स्कूल के कर्मचारियों को वेतन/पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पूरे बकाया राशि का भुगतान

तीन सप्ताह के भीतर करें। प्रस्तुतियों के दौरान, अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि एन.डी.एम.सी. ने पहले ही स्कूल के कर्मचारियों को मूल राशि का भुगतान कर दिया है और अब एकमात्र मुद्दा जो बचा है वह ब्याज घटक के बारे में है जिसे आगे के विचार के लिए अवसर दिया गया था।

23. अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के दौरान आग्रह किया कि चूंकि प्रतिपूर्ति वर्ष 2010 में की गई थी, इसलिए डी.एस.जी.एम.सी. परिसीमा द्वारा रोकी गई वसूली का बचाव कर सकता है। तथापि, हमारा दृढ़ मत है कि चूंकि इस न्यायालय ने 7 जुलाई, 2010 का आदेश पारित करते समय अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. द्वारा भुगतान की जा रही राशि की प्रतिपूर्ति के प्रश्न को अग्रिम विचरण हेतु छोड़ दिया है, इसलिए अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका कि राशि की प्रतिपूर्ति की मांग करने के उसके प्रयास का विरोध किया जा सकता है और इस न्यायालय द्वारा परिसीमा द्वारा वर्जित होने की याचिका का विरोध किया जा सकता है को इस न्यायालय द्वारा निराधार पाया जाता है। चूंकि प्रतिपूर्ति की मांग के मुद्दे को 7 जुलाई, 2010 के आदेश में इस संबंध में एक विशिष्ट अवलोकन के साथ खुला छोड़ दिया गया था इसलिए डी.एस.जी.एम.सी. से स्कूल के कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की मांग करने में अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. के रास्ते में परिसीमा का प्रतिबंध नहीं आएगा।

24. चूंकि मूल राशि का भुगतान अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. द्वारा पहले ही किया जा चुका है, इसलिए इस न्यायालय के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण अर्थात् स्कूल के कर्मचारियों को ब्याज के

भुगतान के लिए दिए गए निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

25. इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी अर्थात् स्कूल के कर्मचारियों को ब्याज सहित सभी बकाया देय राशि का भुगतान करेगा।
26. यह स्पष्ट किया जाता है और दोहराया जाता है कि अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी., प्रत्यर्थी-स्कूल के कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए उचित उपाय का सहारा लेने का हकदार होगा, यदि डी.एस.जी.एम.सी. स्वेच्छा से उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है।
27. हम अपीलार्थी-एन.डी.एम.सी. को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अवमानना याचिका सं. 805/2016 में अभियोजन करने की अनुमति भी देते हैं ताकि इन राशियों की प्रतिपूर्ति के लिए निर्देश प्राप्त किया जा सके।
28. सिविल अपील सं. 7440-7441/2012 का तदनुसार उपरोक्त शर्तों में निपटान किया जाता है। कोई जुर्माना नहीं।
29. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

मामले का परिणाम: सिविल अपील सं. 7440-7441/2012 का निपटान किया गया।

सिविल अपील सं. 7442-7444/2012 बर्खास्त की गई।

*शीर्ष टिप्पण निर्माता: निधि जैन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.